

अमानत में खयानत का अजूबा खेल, दान की राशि में हेरफेर

नवभारत न्यूज बालाघाट। शहर के सफ़िंट हाउस में एक अजूबी मामले की श्रीराम मंदिर ट्रस्ट, अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट, अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट तथा अग्रवाल समाज ने संयुक्त रूप पत्रकारों से चर्चा किया।

प्रेस को जानकारी देते हुए उक्त सभी ट्रस्टों के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में कई दानदाता पैदा हुए जिन्होंने अपना सबकुछ जन कल्याण में दान कर दिया है। ऐसे की एक दानदाता हुए जिन्होंने अपनी जीवन भर की सारी जमाना पूंजी अपने परिवार को ना देकर समाज ,मंदिर और गरीबों के कल्याण हाथ दान कर दिया । लेकिन उनके सपनों को साकार करने के बजाय उनके के कर्णधरो ने चकनाचूर कर दिया और दान के बजाय हरफेर कर संपत्ति ही बेच डाली । इस तरह अमानत में खयानत का मामला विश्वास में धोखा का सामने आया।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि दानदाता मोहनलाल माहेश्वरी की वसीयत को छिपा कर कुछ लोगों ने लगभग 60 करोड़ की उक्त



संपत्ति का कुछ हिस्सा छल पूर्वक अन्यत्र लोगों को बेच भी दिया है। वसीयत छिपाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। साथ ही उच्च स्तरीय मामले की जांच कराएंगे।

30 वर्षों तक वसीयत छिपाई गयी

ट्रस्ट के लोगों ने स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी की 16 अगस्त 1996 को वसीयत से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि वसीयत लगभग 30 वर्षों तक सार्वजनिक नहीं की गई। जिससे वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा का पालन नहीं हो सका और इस दौरान मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में कथित रूप से ऐसे निर्णय लिए गए जिनसे कुछ लोगों को अनुचित

आर्थिक लाभ मिला ।

एफआईआर दर्ज कराएंगे

अब ट्रस्ट ने इस मामले में सुरजमल बोहरा और अनिल कांकरिया दोनों ही लोगों के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले को केवल दीवानी विवाद तक सीमित नहीं रखेंगे।संयुक्त निर्णय के अनुसार शीघ्र ही सक्षम पुलिस अधिकारियों के समक्ष विस्तृत आपराधिक शिकायत प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से तकनीकी एवं निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी।

सुरजमल को मिला था बंद लिफाफा

अधिवक्ता वर्णन श्रीवास्तव ने बताया कि स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी ने 16 अगस्त 1996 को वसीयत लिखी थी तथा उसे निष्पादित करने के लिये सुरजमल बोहरा को बंद लिफाफे में सौंपी थी। निर्देश दिये थे कि मेरी मृत्यु के बाद उसे मूल अवस्था में अनिल कांकरिया को सौंप देना। जहां विधिक नोटिसों के जवाब में सुरजमल बोहरा ने स्वीकार किया है कि स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी ने उन्हें एक बंद लिफाफा सौंपा था और निर्देश दिया था। वहीं अनिल कांंकड़िया ने भी अपने लिखित उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उन्हें उक्त वसीयत सुरजमल बोहरा से मोहनलाल माहेश्वरी के निधन के बाद प्राप्त हुई थी।

वसीयत छिपाकर रखी गयी

ट्रस्टों का कहना है कि यदि वसीयत वर्ष 1996 से अस्तित्व में थी और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद संबंधित व्यक्तियों के कब्जे में आ गई थी, तो फिर उसका समय पर किम्वद्वयन क्यों नहीं किया गया। उनका आरोप है कि वसीयत को लंबे समय तक जानबूझकर गुप्त रखा गया और संबंधित हितधारकों को इसकी जानकारी नहीं दी गई।ट्रस्टों का यह भी आरोप है कि इस अवधि में मंदिर ट्रस्ट की मूल्यवान संपत्तियों का विक्रय अंतरण और अन्य वित्तीय लेन-देन किए गए। जिनसे कथित रूप से कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा।

60 करोड़ की संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया

ट्रस्ट पदाधिकारियों ने दावा किया है कि लगभग 60 करोड़ की उक्त संपत्ति का कुछ हिस्सा संबंधितों के वारसानों के द्वारा मिलीभगत करछल पूर्वक अन्यत्र लोगों को बेच भी दिया है।ट्रस्ट ने मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा की अवहेलना नहीं बल्कि धार्मिक न्यास की संपत्तियों के साथ गंभीर विश्वासघात और समाज के साथ छल का मामला भी हो सकता है।ट्रस्टों ने दावा किया है कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर भारतीय न्याय संहिताकी विभिन्न धाराओं जैसे आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक धड़यंत्र, बेईमानी से संपत्ति के दुरुपयोग तथा जालसाजी से संबंधित प्रावधानों के तहत जांच की आवश्यकता बनती है।

एक नजर में ग्राम पंचायत अर्जुनी के सचिव निलंबित

नवभारत कटंगी। ग्राम पंचायत अर्जुनी के सचिव डेविड रानाडे की लगातार लापरवाही और पंचायत से अनुपस्थित रहने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। समाचार प्रकाशित होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही कर दी है। ग्राम पंचायत अर्जुनी के सरपंच एवं ग्रामीणों ने सचिव पर नियमित रूप से पंचायत नहीं आने, विकास कार्यों की उपेक्षा करने तथा ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे। ग्रामीणों का कहना था कि सचिव वर्षभर में 365 दिनों में 65 दिन भी पंचायत नहीं पहुंचे, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे।

विधायक ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश- मामले की शिकायत क्षेत्रीय विधायक गौरव पारधी तक भी पहुंची थी। विधायक ने समीक्षा बैठक में सचिव को अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। समाचार के प्रकाशन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कर सचिव डेविड रानाडे को निलंबित कर दिया।

120 मुस्लिम मेधावी छात्र-छात्राओं का 16 अगस्त को होगा सम्मान समारोह

बालाघाट। मुस्लिम एजुकेशन एंड कल्चरल सोसायटी, बालाघाट द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 16 अगस्त 2026 (रविवार) को दोपहर 2 बजे अंजुमन शादी हॉल, बालाघाट में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 120 मुस्लिम छात्र-छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। सोसायटी ने बताया कि इस सम्मान समारोह का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा सभी चर्चनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। इस प्रकार के आयोजन से न केवल सम्मानित विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि अन्य छात्र-छात्राओं को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलती है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 137 पौधों का रोपण

नवभारत,खैरलॉंजी। पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान को समर्पित ‘एक पेड़ माँ के नाम अभियान’ के तहत शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला किन्ही में एक सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 24 जुलाई को 137 पौधों का रोपण कर विद्यालय परिसर और आसपास हरियाली बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विद्यालय में यह सकारात्मक बदलाव उस समय से देखने को मिल रहा है जब प्रधान पाठक दामेन्द्र कुमार मन्दरैले ने 1 जुलाई को शाला का प्रभार



संभाला। प्रभार लेते ही उन्होंने विद्यालय में कई नवाचारों की शुरुआत की, जिससे शिक्षण व्यवस्था और विद्यार्थियों की दिनचर्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, प्रधान पाठक द्वारा एम डी एम (का संचालन सुचारू रूप से किया जा

रहा है और बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यालय में प्रार्थना सभा को भी व्यवस्थित किया गया है, जिसमें लालडस्पीकर के माध्यम से गायन, प्रार्थनापाठक द्वारा एम डी एम (का आयोजन किया जा रहा है।

आबादी भूमि की रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा टैक्स : पारधी

मप्र उपकर अधिनियम1981 में हुए संशोधन से पहुंचेगा सोध ग्रामीणों को लाभ

नवभारत कटंगी 24 जुलाई। मध्यप्रदेश विधानसभा में मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 में संशोधन पर चर्चा के दौरान कटंगी-खैरलांजी विधायक गौरव सिंह पारधी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया और कहा की राज्य सरकार ग्रामीण परिवारों को



उनकी आबादी की जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाने का काम कर रही है। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 में संशोधन किया गया।

सेस पूरी तरह कर दिया

खत्म-इस संशोधन के तहत स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी की जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाला सेस (उपकर) पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब गांवों के लाखों परिवार बिना इस अतिरिक्त शुल्क के अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और अपनी भूमि का कानूनी मालिकाना हक प्राप्त करने का रास्ता भी आसान होगा।

ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत- विधायक पारधी ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लोगों को उनकी आबादी की जमीन की रजिस्ट्री

खेत गए दंपति, पीछे से चोरों ने घर में रखे जेवर और नकदी की पार

अरंडिया में दिनदहाड़े वारदात, टूटे मिले संदुक और आलमारी के ताले

नवभारत, परसवाड़ा। थाना क्षेत्र के ग्राम अरंडिया में दिनदहाड़े हुई चोरी की वारदात ने ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेत में काम करने गए दंपती के सूने घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर सोने-चांदी के जेवरत और नकदी चोरी कर ली। घटना का पता तब चला जब गृहस्वामिनी दोपहर में



खाना लेने घर पहुंची।

पुलिस के अनुसार अरंडिया निवासी किसान लिखीराम बिसेन बुधवार सुबह खेत पर काम करने चले गए थे। कुछ देर बाद उनकी पत्नी भी घर में ताला लगाकर खेत पहुंच गई। दोपहर करीब एक बजे

जब वे घर लौटों तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो आलमारी, संदुक और सूटकेस के ताले भी टूटे पड़े थे तथा पूरा सामान अस्त-व्यस्त था। पीड़ित परिवार ने जब सामान की जांच की तो पता चला कि घर में रखे दो मंगलसूत्र, दो जोड़ी झुमके, दो जोड़ी बालियां, सोने की तीन पत्ती, चांदी की दो जोड़ी पैरपट्टी, एक करधन तथा 15 हजार रुपए नकद गायब हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पीड़ित ने अपने

रिश्तेदारों के साथ थाना परसवाड़ा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूने मकान पर थी चोरों की नजर- प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुई। इस दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। चोरों ने पहले मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और फिर घर के भीतर रखे बक्सों एवं आलमारी को खंगालकर कीमती सामान समेट लिया।

मिनिस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटी का पट्टा निरस्त

पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

नवभारत बालाघाट। बालाघाट बस स्टैंड क्षेत्र स्थित नजूल भूमि पर पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के मामले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मुणाल मीना ने सख्त कार्रवाई करते हुए दी मिनिस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित, बालाघाट को ऑक्टित पट्टा निरस्त कर दिया है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा 20 जुलाई 2026 को पारित आदेश के अनुसार संबंधित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने तथा भूमि पर शासन का आधिपत्य सुनिश्चित करने के

निर्देश दिए गए हैं। बस स्टैंड स्थित नजूल शीट क्रमांक-306, प्लॉट क्रमांक-277/3 की 122.075 वर्गमीटर (1314 वर्गफुट) भूमि सोसायटी को केवल कैंटीन संचालन के उद्देश्य से पट्टे पर ऑक्टित की गई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि सोसायटी द्वारा स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत इस भूमि पर व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था, जो पट्टे की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। नजूल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण में यह भी सामने आया कि सोसायटी ने भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त

नहीं की। साथ ही निर्माण शुरू करने से पहले नजूल विभाग से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया। नगरपालिका से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करते समय भी पट्टे की शर्तों के उल्लंघन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए। जांच में यह भी पाया कि संबंधित भूमि पर कैंटीन का संचालन नहीं किया जा रहा था और न ही सोसायटी अपने पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कोई गतिविधि संचालित कर रही थी। प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए सोसायटी को कारण बताओ सूचना जारी कर स्पष्टीकरण एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

लोक निर्माण विभाग का सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार

जामरापानी-आंजनबिहरी सड़क निर्माण में भारी अनियमितता से ग्रामीणों में रोष

नवभारत कटंगी 24 जुलाई। मुख्यमंत्री द्वारा भूमिपूजन की गई जामरापानी से आंजनबिहरी तक 8.30 किमी सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगे हैं। करोड़ों की लागत से बन रही इस सड़क में ठेकेदार की मनमानी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण एस्टिमेंट के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। ग्रामीणों और जनपद सदस्य ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा



सड़क निर्माण में मुरुम के स्थान पर मिट्टी डाली जा रही है। इसके लिए राजस्व एवं वन विकास निगम की भूमि से अवैध रूप से मिट्टी-खनन कर सामग्री लाई जा रही है।

शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं- स्थानीय लोगों



का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते नियमों को दरकिनार कर कार्य किया जा रहा है। अवैध खनन की शिकायत के बाद भी राजस्व और वन विकास निगम विभाग द्वारा कोई

कार्रवाई नहीं की गई।

राजनीतिक संरक्षण की आशंका - ग्रामीणों ने ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण मिलने की भी आशंका जताई है। उनका आरोप है कि उपयंत्री की मिलीभगत से गुणवत्ताहीन सामग्री से सड़क बनाई जा रही है, जिससे कुछ ही समय में सड़क उखड़ जाएगी।

जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग- जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने कलेक्टर एवं पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और मानक के अनुसार सड़क निर्माण कराने की मांग की है।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में चला व्यापक जनजागरुकता अभियान

नवभारत, बैहर (बालाघाट) । पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, वारासिवनी, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा के लिए बैहर विकासखंड में व्यापक जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय की निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन सुनिश्चित करना रहा।

इस अभियान के अंतर्गत कार्यालय जन शिक्षा केंद्र (बीआरसी) बैहर में दीपेश कुमार जैन (टीजीटी हिन्दी) एवं अयाज



अंसारी (पुस्तकालय अध्यक्ष) ने बीआरसी, बीएसटी तथा शिक्षकों की बैठक में नवोदय विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यता, परीक्षा एवं विद्यालय की विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी शिक्षकों से अपने-अपने विद्यालयों के पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के लिए प्रेरित करने एवं समय-सीमा के भीतर आवेदन भ्रवाने का आग्रह किया।

इस दौरान पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी में उपलब्ध निःशुल्क आवासीय शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, भोजन एवं सर्वांगीण व्यक्तिव विकास की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया गया।